लल्लीराम और अन्य

बनाम

स्टेटे ऑफ एम. पी.

(आपराधिक अपील संख्या 791/2006)

15 सितंबर, 2008।

[डॉ. अरिजीत पासायत और डॉ मुकुंदकम शर्मा , न्यायाधिपतिगण]

भारतीय दंड संहिता, 1860:

धाराये 342 और 376 - गलत तरीके से हिरासत और बलात्कार - अभियोक्त्री के पति ने कहा कि उसे पीटा गया था और कमरे में बंद कर दिया गया - आरोप है कि अभियोक्त्री को रात में आरोपी व्यक्तियो द्वारा घसीटा गया और बार बार बलात्कार किया गया और अगली सुबह मुक्त कर दिया गया- विचारण न्यायालय ने चिकित्सा साक्ष्य में पीडिता के शरीर पर किसी भी चोट के अभाव और अभियोजन साक्ष्य में असंगतता और विसंगतियो को देखते हुये बरी करने का आदेश दिया - उच्च नयायालय द्वारा दोषसिद्धि - अभिनिर्धारित - जहां आरोप कई व्यक्तियो द्वारा और कई बार बलात्कार का है, लेकिन कोई चोट नहीं देखी गई है, यह निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण कारक है - यदि अभियोक्त्री का वृतांत विश्वसनीय है, तो किसी भी पुष्टि की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि उसका वृतांत विश्वसनीय नहीं है, तो पुष्टि करना आवश्यक होगा - तथ्यात्मक स्थिति को देखते हुये, विचारण न्यायालय द्वारा बरी करने का निर्देश देना उचित था - उच्च न्यायालय के आदेश को अपास्त किया गया।

पूर्वनिर्णय:

अभिनिर्धारित : आपराधिक मामलो में, साक्ष्यो की सराहना से संबंधित पूर्वन्याय का प्रश्न कोई परिणाम नहीं रखता है।

एक अन्य अभियुक्त के साथ दो अपीलकर्ताओ पर धारा 376, 342, 392 और 506 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध करने के लिये मुकदमा चलाया गया, इस आरोप पर कि दिनांक 23/9/1985 की शाम को उन्होने पीडिता (पीडब्लू 2) और उसके पति (पीडब्लू-1) को रास्ते अलग किया, पीडब्लू को पीटा - 1 और उसे एक कमरे में बंद कर दिया और पी. डब्ल्यू.-2 को दूसरे कमरे में घसीटा, बार-बार रात में उसका बलात्कार किया और अगले दिन उसे मुक्त कर दिया। दिनांक 25.9.1985 को पीडब्लू की चिकित्सीय जांच की गई लेकिन उसके शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं पाई गई। विचारण न्यायालय ने आरोपी को सभी आरोपो से बरी कर दिया, लेकिन उच्च न्यायालय ने आरोपी को आईपीसी की धारा 376 और 342 के अंतर्गत दोषी ठहराया। व्यथित होकर दो आरोपीयो ने वर्तमान अपील प्रस्तुत की।

न्यायालय ने अपील स्वीकार करते हुये अभिनिर्धारित किया :

1. जहां कई व्यक्तियो द्वारा कई बार बलात्कार करने का आरोप हो लेकिन कोई चोट नजर न आये, यह निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण कारक है, यदि अभियोक्त्री का वृतांत विश्वसनीय है, तो कोई पुष्टि आवश्यक नहीं है। लेकिन यदि अभियोक्त्री का वृतांत विश्वसनीय नहीं है तो पुष्टि की आवश्यकता होगी। मौजूदा मामले में, विचारण न्यायालय ने कहा कि हालांकि पीडिता ने दावा किया कि उसके साथ कई लोगो ने कई बार बलात्कार किया, लेकिन कोई चोट नहीं दिखी और डॉक्टर ने स्पष्ट रूप से कहा है कि बलात्कार का कोई संकेत नहीं था। [पैरा 8-9] [400-ए-बी; 399-जी]

प्रताप मिश्रा और अन्य बनाम उड़ीसा राज्य 1977 (3) एस. सी. सी 41 ; अमन कुमार और अन्य बनाम हरियाणा राज्य 2004 (4) एस. सी. सी. 379 - पर भरोसा व्यक्त किया।

2. किसी निर्णय पर तथ्यात्मक परिदृश्य की पृष्ठभूमि में विचार किया जाना चाहिए। आपराधिक मामलो में, विशेष रूप से साक्ष्य की सराहना से संबंधित पूर्वनिर्णय का सवाल वास्तव में कोई मायने नहीं रखता है। [पैरा 10] [400-सी]

3.1 कानून का कोई नियम नहीं है कि बलात्कार की पीड़िता की गवाही पर भौतिक विवरण की पुष्टि के बिना कार्रवाई नहीं की जा सकती है। वह घायल गवाह की तुलना में ऊंचे पायदान पर खड़ी है। हालांकि, अगर अदालत को अभियोक्त्री के वृतांत को अंकित मूल्य पर स्वीकार करना मुश्किल लगता है तो वह प्रतयक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य की तलाश कर सकती है। [पैरा 10] [400 - डी-ई]

3.2 जहाँ तक वर्तमान मामले में पीड़िता की गवाही का सवाल है, उच्च न्यायालय ने पाया है कि उसने कहा था कि उसे चोटे लगी है लेकिन ऐसी कोई चोट प्रथम चिकित्सीय जांच में नहीं पाई गई थी। उसने पहले बलात्कार करने वाले आरोपी और बलात्कार के स्थान के बारे में भी अलग अलग बयान दिये। एक और महत्वपूर्ण कारक जिस पर विचारण न्यायालय ने गौर किया, लेकिन उच्च न्यायालय ने नहीं, वह यह था कि पीडब्लू 1 ने कहा कि घटना के समय पीडिता 4 महीने की गर्भवती थी। लेकिन यह चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं था। (पैरा 11-13] [400 ई-एच; 401-ए]

3.3 तथ्यात्मक स्थिति को ध्यान में रखते हुए विचारण न्यायालय द्वारा बरी करने के निर्देश देना उचित था। दोषमुक्ति को खारिज करने वाला उच्च न्यायालय का निर्णय स्पष्ट रूप से टिकाउ नहीं है और इसे अपास्त किया जाता है। [पैरा 15]

न्यायिक निर्णय संदर्भ

1977 (3) एससीसी 41 भरोसा व्यक्त किया पैरा 9

2004 (4) एस. सी. सी. 379 भरोसा व्यक्त किया पैरा 9

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार : आपराधिक अपील संख्या 791/2006

(आपराधिक अपील संख्या 81/1990 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर बेंच, ग्वालियर के निर्णय एवं आदेश दिनांक 23.3.2006 से)

राजेश आर. दुबे, पवन उपाध्याय, अनीशा उपाध्याय, संतोष मिश्रा और शर्मिला उपाध्याय, अपीलार्थियों के लिये।

विकास उपाध्याय और बी. एस. बंथिया, प्रतिवादी के लिए

न्यायालय का निर्णय डॉ. अरिजीत पासायत, न्यायाधिपति द्वारा दिया गया था।

1. इस अपील में चुनौती मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, की ग्वालियर पीठ की खंड पीठ के एक फैसले को दी गई है, जिसमें सत्र परीक्षण संख्या 12/86 में विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अशेक नगर द्वारा दर्ज किये गये बरी करने के फैसले को खारिज कर दिया गया है। तीन आरोपी व्यक्तियो अर्थात वर्तमान अपीलार्थियों और एक चतुर्भुज को भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में 'भादंसं') की धारा 376,392,342 और 506 के तहत दंडनीय अपराध के कथित आरोप के लिये अन्वीक्षा का सामना करना पडा। विचारण न्यायालय ने आरोपियो को बरी करने का निर्देश दिया। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में 'संहिता') की धारा 378 के तहत राज्य द्वारा दायर अपील में बरी करने के आदेश को अपास्त कर दिया गया और आरोपी व्यक्तियो को धारा 376 और 342 भादंसं के अंतर्गत दंडनीय अपराध का दोषी पाया गया लेकिन इसने भादंसं की धारा 392 और 506 (2) से संबधित अपराध के लिय दोषमुक्त किये जाने के

आदेश को यथावत रखा। अपीलकर्ताओ को भादंसं की धारा 376 और 342 से संबंधित अपराधो के लिये डिफॉल्ट शर्त के साथ 7 साल और 6 महीने की हिरासत की सजा ओर जुर्माने की सजा सुनाई गई थी।

2. अभियोजन पक्ष का वृतांत जिसके कारण आरोपी व्यक्तियो पर मुकदमा चला, वह इस प्रकार है-

दिनांक 23/9/1985 को शाम को अभियोक्त्री अपने पति दयाराम के साथ खजुरिया गई थी। रास्ते में मंगत के खेत के पास अपीलार्थी उनसे मिले और अभियोक्त्री के साथ दुर्व्यवहार करने लगे। अपीलकर्ताओ ने पीडिता के पति को भी पीटना शुरू कर दिया और पीिता को कमल सिंह के कुंये के पास ले गये जहां आरोपी पूरन सिंह और लल्लीराम ने चतुर्भुज से बात की। दयाराम को एक कमरे में बंद कर दिया गया। फिर अपीलकर्ता पीडिता को घर के उपरी कमरे में ले गये और रात में बार बार बलात्कार किया। अगली सुबह उन्होने पीडिता को मुक्त कर दिया और उसे किसी को रिपोर्ट न करने की चेतावनी दी। तब वह दयाराम को कमरे से ले आई और उसी समय लटूरा, ग्यारसा, भरोसिंह, कमल सिंह और हरिहर वहां पहुंच गये। उन्हें घटना की जानकारी दी गई । अपीलकर्ताओ ने अभियोक्त्रीसे एक बैग भी छीन लिया जिसमें 25/- रूपये और दयाराम का पहचान पत्र था। अभियोक्त्री ने थाना माधोगढ चौकी में रिपोर्ट दर्ज कराई जो कि प्रदर्श पी.1 है। जांच की गई। नक्शा मौका तैयार किया गया जो प्रदर्श पी.2 है। अभियोक्त्री को प्रदर्श पी.6 के माध्यम से मेडीकल परीक्षण के लिये भेजा गया था और महिला डॉक्टर श्रीमती सी.पी.जैन (पीडब्लू 11) द्वारा उसकी दो बार जांच की गई थी, पहली बार 25.9.1985 पर और फिर 5.10.1985 को। प्रदर्श पी.6 दिनांक 25/9/85 की मेडीकल जांचसे संबंधित रिपोर्ट है। रिपोर्ट प्रदर्श पी.6 के अनुसार उन्होने राय दी कि बलात्कार के बारे में कोई निश्चित राय नहीं दी जा सकती। रिपोर्ट

में कहा गया कि उनके शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं पाई गई। विचारण न्यायालय ने पाया कि लटूरा (पीडब्लू-3) जो कि पी डब्लू.2, भरोसा (पीडब्लू-4) और पुलियाबाई (पीडब्लू-5) के पिता है, के साक्ष्य असंगत थे और बचाव पक्ष की गवाह माया ने विचारण न्यायालय द्वारा ली गई सजा की संभावना व्यक्त की। डॉक्टर ने यह भी स्पष्ट रूप से कहा कि घटना की कथित तारीख पर वह गर्भवती नहीं थी।

3. उच्च न्यायालय ने पीडब्लू 1 और 2 अर्थात क्रमश: अभियोक्त्री और दयाराम के साक्ष्य का हवाला दिया औरयह देखा गया कि अभियोक्त्री का बयान अभियुक्त पर दोषसिद्व करने के लिये पर्याप्त था। विचारण न्यायालय द्वारा उजागर की गई परिस्थितियां बरी करने के लिये पर्याप्त नहीं थी। हालांकि प्रथम सूचना रिपोर्ट (संक्षेप में 'एफ. आई. आर.') में इंगित वृतांत और न्यायालय में दिये गये साक्ष्य कुछ पहलुओ मे असंगत थे, लेकिन यह माना गया कि इसका कोई परिणाम नहीं होगा।

4. उच्च न्यायालय के समक्ष राज्य का रूख यह था कि पीडिता और उसके पति के साक्ष्य तर्कसंगत थे और बरी करने का निर्देश देने की कोई गुंजाईश नहीं थी।

5. यह ध्यान दिया जाना चाहिये कि विचारण न्यायालय ने गवाहो के साक्ष्यो मे विसंगतियां पाई थी।

6. अपील के समर्थन में गपीलकर्ताओ के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने कई निर्णयो पर भरोसा किया, बिना यह बताये कि कैसे विचारण न्यायालय का दृष्टिकोण उचित नहीं था। संक्षेप में यह प्रस्तुत किया गया है कि दोषमुक्ति के विरूद्व अपील से संबंधित मापदंडो को ध्यान में नहीं रखा गया है। यह कहा गया है कि उच्च न्यायालय ने अभियोक्त्री द्वारा किये गये सुधारो और उसके द्वारा दिये गये विरोधाभासी बयानो को नजरअंदाज करते हुये यांत्रिक तरीके से निर्णयो

पर भरोसा किया, जैसा कि विचारण न्यायालय ने सही ढंग से देखा, जिससे अभियोजन पक्ष की विश्वसनीयता खराब हो गई।

7. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप की आवश्यकता के लिये कोई कमी नहीं है।

8. विचारण न्यायालय ने कहा कि हालांकि पीडिता ने दावा किया कि उसके साथ कई लोगो ने कई बार बलात्कार किया, लेकिन कोई चोट नहीं दिखी और डॉक्टर ने स्पष्ट रूप से कहा है कि बलात्कार का कोई संकेत नहीं थाऔर वास्तव में कोई चोट नहीं थी।

9. यह सच है कि बलात्कार हुआ है या नहीं, यह तय करने के लिये चोट कोई अनिवार्य शर्त नहीं है, पर यह प्रत्येक मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स पर निर्णित करना होगा। जैसा कि इस न्यायालय ने प्रताप मिश्रा और अन्य बनाम उड़ीसा राज्य (1977 (3) एस. सी. सी. 41) में देखा, जहां कई व्यक्तियों द्वारा बलात्कार करने का आरोप लगाया जाता है लेकिन कोई चोट नहीं देखी गई है, यह निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण कारक है यदि अभियोजक का वृतांत विश्वसनीय है, तो कोई पुष्टि आवश्यक नहीं है। लेकिन अगर अभियोजक का बयान विश्वसनीय नहीं है तो पुष्टि की आवश्यकता होगी। (अमन कुमार और अन्य बनाम हरियाणा राज्य (2004 (4) एससीसी 379 - देखे)।

10. जैसा कि अपीलकर्ताओ के विद्वान वकील ने सही तर्क दिया है, किसी निर्णयपर तथ्यात्मक परिदृश्य की पृष्ठभूमि में विचार किया जाना चाहिए। आपराधिक मामलों में विशेष रूप से सबूतो की सराहना से संबंधित पूर्वनिर्णय का सवाल सवाल वास्तव में कोई मायने नहीं रखता है। अमन कुमार के मामले (उपरोक्त) में यह देखा गया कि बलात्कार के अपराध का शिकार होने की शिकायत करने वाली अभियोक्त्री सहअपराधी नहीं है। कानून का कोई नियम नहीं है कि उसकी गवाही पर भौतिक

विवरण की पुष्टि के बिना कार्यवाही नहीं की जा सकती। वह घायल गवाह से भी उंचे पायदान पर खडी है। बाद वाले मामले में शारीरिक चोट लगती है जबकि पहले मामले में शारीरिक के साथसाथ मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक चोट भी लगती है। हालांकि, यदि अदालत को अभियोक्त्री के वृतांत को अंकित मूल्य परस्वीकार करना मुश्किल लगता है तो वह प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य की तलाश कर सकती है।

11. जहाँ तक पीड़िता की गवाही का संबंध है, उच्च न्यायालय ने पाया है कि पीडब्लू-2 ने अभियोक्त्री के गाल और पीठ पर चोटो के बारे में बताया है। लेकिन पहली मेडीकल जांच में ऐसी कोई चोट नहीं मिली। पीडब्लू.2 ने कहा था कि उसके पैरो में चोटे आई थी। लेकिन ऐसी चोटो पर भी ध्यान नहीं दिया गया।

12. जिरह में अभियोक्त्री ने बताया कि सबसे पहले लल्लीराम ने ही बलात्कार किया था। लेकिन अपने पहले बयानमें उसने कहा था कि आरोपी पूरन ने ही सबसे पहले उसके साथ रेप किया था। दिलचस्प बात यह है िक उसने बलात्कार की जगह के बारे में भी अलग अलग बयान दिये थे। विचारण न्यायालय ने इस पहलू पर गौर किया। एक और महत्वपूर्ण कारक जिस पर विचारण न्यायालय ने गौर किया, लेकिन उच्च न्यायालय ने नहीं, वह यह था कि पीडब्लू 1 का कहनाथा कि गर्भपात हुआ था। पी डब्लू.1 ने कहा कि वह घटना के समय 4 महीने की गर्भवती थी। परंतु डॉक्टर ने कहा कि दरअसल वह मासिक धर्म पर थी।

13. अभियोक्त्री का एक और दिलचस्प बयान यह था कि आरोपी लल्लीराम ने उसके बालो का गुच्छा पकडकर उसे काफी दूर तक घसीटा था। विचारण न्यायालय ने देखा कि अगर ऐसा होता तो चोटे लगती और दिलचस्प बात यह है कि उसने एफआईआर में इस हिस्से के बारे में नहीं बताया था। जैसा कि उपर बताया गया है, उसने घसीटे जाने के कारण अपनी पीठ और शरीर के अन्य हिस्सो पर खरोंच आने की

बात कही थी और खून भी निकला था। लेकिन चिकित्सीय साक्ष्य स्पष्ट रूप से इसके विपरीत है। अपने बयान में उसने बताया था कि उसके पति दयाराम को भी पूरन और लल्लीराम ने घसीटा था और उसे भी काफी चोटे आई थी। यह भाग चिकित्सीय साक्ष्यो द्वारा भी झूंठलाया गया है। जिरह में पीडब्लू 1 ने स्वीकार किया कि आरोपी व्यक्तियो ने उसे परेशान किया और उसे मारने की कोशिश की। उसने स्वीकार किया था कि उसके पति ने उसके साथ मारपीट की थी। वे उन चोटो से संबंधित है जो 5/10/1985 को डॉक्टर द्वारा जांच के समय ताजा थी।

14. यह ध्यान दिया जाना चाहिये कि श्रीमती सी.पी. जैन (पीडब्लू 11) ने उसकी दो बार जांच की यानि पहले 25/9/1985 को और फिर 5/10/1985 को। प्रथम जांच के समय उसके शरीर पर कोई चोट नहीं पाई गई। यह भी ध्यान देने योग्य है कि पीडब्लू 3 ने कहा कि पीडब्लू 1 के होश में आने के बाद उसने घटना के बारे मे बताया। यह पीडब्लू 2 के कथन के विपरीत है। उसने कहा है कि अभियुक्तो ने उसे बांध दिया था और सुबह पीडब्लू 1 ने उसे खोल दिया। उस समय तक जाहिर तौर पर पीडब्लू 3 और पीडब्लू 4 नहीं आये थे। दरअसल पीडब्लू 4 का कहनाहै कि जब वह और पीडब्लू 3 घटनास्थल पर गये तो पीडिता बेहोश पडी थी।

15. उपरोक्त तथ्यात्मक स्थिति को देखते हुये विचारण न्यायालय द्वारा दोषमुक्ति करने का निर्देश देना उचित था और दोषमुक्ति को अपास्त करने वाला उच्च न्यायालय का फैसला स्पष्ट रूप से टिकाउ नहीं है।

16. अपील स्वीकार की जाती है। उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज दोषसिद्वि को अपास्त किया जाता है। जो आरोपी व्यक्ति हिरासत में है उन्हें तुरंत रिहा कर दिया जायेगा जब तक कि किसी अन्य मामले के संबंध में हिरासत में रहने की आवश्यकता न हो।

अपील स्वीकार की गई।

आर. पी.

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता नृपेन्द्र सिनसिनवार द्वारा किया गया है ।

अस्वीकरण - इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।